सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 268/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–01.09.2025

GCMS ID-2025/387

बउनवान

1. राजसिंह आयु 52 वर्ष पिता मोहन सिंह जाति राजपुत निवासी घोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 30/01/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्य 199 की भूमि ख.सं. 1122,1123, 1125, 1126,1127,1128 कुल किता 6 कुल रकबा 2.3958 हैक्टेयर वाके ग्राम घोवडा पटवार मण्डल धोवडा मे विरिथत है, उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह दर्ज हो रहा है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। खाता संख्या 138 ख.सं. 386, 387, 388, 395, 396, 398, 399 'कुल किता 7 कुल रकबा 3.9094 हैक्टेयर वाके ग्राम नेतः पटवार मैण्डल नेत तहसील हिण्डोली मे विरिथत है. उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम मोहन दर्ज हो रहा है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का सही नाम रामसिंह है एवं प्रार्थी के पिता का नाम मोहन सिंह है, परन्तु राजस्व कर्मचारीयो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नामो की सही जांच किये बिना उक्त भूमियो का नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का रामसिंह व प्रार्थना पत्र की चरण

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

संख्या 2 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम राजसिंह पिता मोहनसिंह है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम राजसिंह पिता मोहनसिंह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह व चरण संख्या 2 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम राजसिंह पिता मोहनसिंह है और पहचान के सभी दस्तावेजात मे भी राजसिंह पिता मोहनसिंह ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का सही नाम राजसिंह पिता मोहनसिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.08.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपना नाम राजसिंह पिता मोहन व रामसिंह पिता मोहनसिंह के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर राजसिंह पिता मोहनसिंह करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम राजसिंह पिता मोहनसिंह दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम नेत पटवार मण्डल नेत व धोवडा पटवार मण्डल धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधि कार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलयाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि **खाता संख्य 199** की भूमि ख. सं. 1122,1123, 1125, 1126,1127,1128 कुल किता 6 कुल रकबा 2.3958 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल घोवडा व भूमि **खाता संख्या 138** ख.सं. 386, 387, 388, 395, 396, 398, 399 कुल किता 7 कुल रकबा 3.9094 हैक्टेयर वाके ग्राम नेत पटवार मण्डल नेत तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम रामसिंह पिता मोहनसिंह व राजसिंह पिता मोहन के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

स्थान पर राजसिंह पिता मोहनसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम नेत प0म0 नेत के खाता संख्या 138 में प्रार्थी/पिता का नाम राजसिंह पुत्र मोहन व ग्राम धोवडा पटवारं मण्डल धोवडा के खाता संख्या 199 में रामसिंह पुत्र मोहनसिंह सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बरों में दर्ज राजसिंह पुत्र मोहन, रामसिंह पुत्र मोहनसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज राजसिंह पुत्र मोहन व रामसिंह पुत्र मोहनसिंह के स्थान पर प्रार्थी/पिता का शुद्ध नाम राजसिंह पुत्र मोहनसिंह दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/पिता का सही नाम राजसिंह पुत्र मोहनसिंह है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एंव नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थी/पिता का सही नाम राजसिंह पुत्र मोहनसिंह है। प्रकरण में जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम नेत प0मं0 नेत के खाता संख्या 138 में दर्ज प्रार्थी/पिता के नाम राजसिंह पुत्र मोहन के स्थान पर राजसिंह पुत्र मोहनसिंह व भूमि वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा के खाता संख्या 199 में दर्ज प्रार्थी/पिता के नाम रामसिंह पुत्र मोहनसिंह के स्थान पर राजसिंह पुत्र मोहनसिंह शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :—30.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446